

अध्याय 11

मूल्यांकन और संपरीक्षा

नियम 98 : अनंतिम मूल्यांकन

- (1) धारा 60 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अनंतिम आधार पर कर के संदाय के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए गए सुविधा केन्द्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसएमटी-01** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से स्वयं उपस्थित होने या अपने आवेदन की समर्थन में अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए **प्ररूप जीएसटी एसएमटी-02** में नोटिस जारी करेगा और आवेदक **प्ररूप जीएसटी एसएमटी-03** में नोटिस का जवाब फाइल करेगा।
- (3) उचित अधिकारी या तो आवेदन अस्वीकृत करने के कारण बताते हुए आवेदन निरस्त करने या अनंतिम आधार पर कर का संदाय अनुज्ञात करते हुए आदेश जारी करेगा जिसमें अनंतिम आधार पर वह मूल्य या दर या दोनों दर्शित करते हुए मूल्यांकन अनुज्ञात किया जाना है तथा वह रकम जिसके लिए बंधपत्र निष्पादित किया जाना है और वह प्रतिभूति जो दी जानी है जो बंधपत्र के अधीन आने वाली रकम के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 60 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी एसएमटी-05** में एक बंधपत्र उपधारा (3) के अधीन यथा अवधारित रकम के लिए बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा :

परन्तु केन्द्रीय/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया गया बंधपत्र इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया बंधपत्र समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए “रकम” पद में संव्यवहार के संबंध में संदेय एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम और उपकर सम्मिलित होगा।

- (5) उचित अधिकारी धारा 60 की उपधारा (3) के मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित जानकारी और अवलेखों को मांगने के लिए **प्ररूप जीएसटी एसएमटी-06** में नोटिस जारी करेगा जिसमें **प्ररूप जीएसटी एसएमटी-07** में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय या लौटाए जाने वाली कोई रकम यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट होगी।
- (6) आवेदन उपनियम (5) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात् उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के लिए **प्ररूप जीएसटी एसएमटी-08** में आवेदन फाइल कर सकेगा। (7) उचित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट रकम आवेदक द्वारा संदत्त कर दी गई है प्रतिभूति को निर्मुक्त करेगा और उपनियम (6) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी एसएमटी-09** में एक आदेश जारी करेगा।